

कृषि अर्थशास्त्र विभाग द्वारा संचालित परियोजना का नाम—“उत्तराखण्ड में आदिवासी जनजाति समुदाय के आत्मनिर्भरता एवं क्षमता निर्माण हेतु समन्वित कृषि पद्धति एवं मानव संसाधन प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड कालसी एवं चकराता जिला—देहरादून में संचालित” ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित।

उत्तराखण्ड राज्य में लगभग तीन लाख आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं जो की इस राज्य की कुल आबादी का तीन प्रतिशत है। उनमें से अधिकांश कृषि आधारित और सीमांत खेती करते हैं इसलिए आज भी उनके आर्थिक विकास के लिये गहन संस्थागत प्रयासों की जरूरत है। खाद्यान्न का उत्पादन आमतौर पर उनके घर के उपयोग के लिये किया जाता है क्योंकि कृषि योग्य भूमि एवं फसलों की उत्पादकता काफी कम है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त बुनियादी ढांचे तथा ऋण, विपणन, भंडारण, परिवहन एवं संचार आदि सहायक सेवाओं की कमी के कारण उन्हें बाध्य होकर अपने उत्पादों को कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, जिसके कारण उनकी आय काफी सीमित है।

परियोजना के उद्देश्य:

इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी जनजातियों को कृषि प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें जागरूकता पैदा करके कृषि विकास द्वारा उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान करना है इसके साथ ही उनको आधुनिक व महत्वपूर्ण आगत प्रदान करना जिससे वे कृषि की नई तकनीकी अपनाकर खेती में सुधार लाने वाली प्रौद्योगिकी में विश्वास कर सकें।

किसानों के प्रदर्शन के लिए परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनायें:

इस परियोजना के अन्तर्गत किसानों के प्रदर्शन के लिए कुक्कुट पालन, संकर धान की खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, बकरी पालन, अल्पकालीन दलहनी फसलें, मशरूम उत्पादन, अल्पकालीन फल उत्पादन तथा केंचुआ खाद उत्पादन एवम् जैविक उर्वरक का उपयोग आदि योजनायें कार्यरत हैं।

परियोजना के सफल क्रियान्वयन द्वारा लाभ का विवरण:

इस परियोजना का सफल क्रियान्वयन और अभिग्रहण देहरादून जिले के कालसी एवं चकराता ब्लाको में हो चुका है। जिससे विभिन्न योजनाओं के द्वारा 4727 किसान लाभान्वित हुये हैं

तालिका 1: परियोजना की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित किसानों की संख्या एवं विवरण

योजनायें	प्रशिक्षण द्वारा	कृषक-वैज्ञानिक वार्ता द्वारा	आधुनिक कृषि आगतों द्वारा
1. कुक्कुट पालन	560	258	350
2. संकर धान की खेती	742	292	316
3. बेमौसमी सब्जी उत्पादन	587	319	511
4. बकरी पालन	250	..	30
5. अल्पकालीन दलहनी फसलें	399	151	342
6. मशरूम उत्पादन	453	205	30
7. अल्पकालीन फल उत्पादन	300	..	40
8. केंचुआ खाद उत्पादन एवं जैविक उर्वरक का उपयोग	250	..	150
कुल	4727*	2015**	2510***


*1186, **790 और*** 741 कुल में अन्य उपयोजनाओं द्वारा शामिल लाभार्थियों की संख्या

इस परियोजना के विभिन्न योजनाओं द्वारा वर्ष 2013 में कृषि आय में वृद्धि हुई जो की परियोजना से पहलें के वर्ष की तुलना में 64 प्रतिशत अधिक है और इस बढ़ी हुई कृषि आय के द्वारा किसान की कुल आय में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो की परियोजना के सफल क्रियान्वयन को प्रदर्शित करता है।

तालिका 2: विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रति परिवार वार्षिक औसत आय (रु० में)

क्र० सं०	क्रियार्ये	आधार वर्ष-2011	आकलन वर्ष-2013
अ.	कृषि आय (रु० में)	45327	74550
		प्रतिशत में	प्रतिशत में
1.	धान	2.37	5.30
2.	गेहूँ	1.39	1.40
3.	सब्जियाँ	0.72	4.39
4.	दालें	0.18	1.06
5.	कुक्कुट पालन	0.37	5.48
6.	मशरूम	0.00	0.60
7.	पशु पालन *	8.62	8.39
8.	अन्य **	12.74	10.58
	योग	26.40	37.19
ब.	गैर-कृषि आय (रु० में)	126379	125919
1.	सरकारी सेवा	27.48	23.54
2.	निजी सेवा	4.61	4.08
3.	व्यवसाय	33.21	28.66
4.	अन्य ***	8.30	6.53
	योग	73.60	62.81
	कुल आय	171706	200469

* पशु बिक्री, डेयरी उत्पाद, कुक्कुट, बकरी पालन से आय ** खेत मजदूर, बगीचों और ट्रैक्टर भाड़े आदि से आय *** मजदूर, बढ़ई, दर्जी, जौहरी, ठेकेदार, प्रॉपर्टी डीलर आदि।



औसत वार्षिक आय

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :- 9411160013